न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 404 सन 2022

अनवान :–

1. रामेश्वरलाल दहिया पुत्र रणजीतराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बृजलाल पुत्र रणजीतराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर
2. रायसिह पुत्र रणजीतराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर
3. अमरसिह पुत्र रणजीतराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर
4. विरेन्द्र पुत्र रणजीतराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर
5. पुष्पादेवी पुत्री रणजीतराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर
6. इन्द्रावती पुत्री रणजीतराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर
7. अनुराधा पुत्री रणजीतराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर
8. मीरा पुत्री रणजीतराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर
9. रूकमणी पुत्री रणजीतराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री विजय सिह कडवासरा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 06/03/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 1 टीकेएम के खाता संख्या 13/14 की कुल 9.3860हैक व रोही मौजा 2 टीकेएम के खाता संख्या 56/17 की कुल 5.5530हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी प्रतिवादी संख्या 1 ,2 , 4 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा जोधाराम पुत्र आदूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा जोधाराम पुत्र आदूराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रो/पुत्रीयों के नाम से दर्ज हुई।

उक्त वाद भूमि में 3/10 हिस्सा मृतक मन्नीदेवी पत्नी स्व रणीतराम व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 पूष्पादेवी , इन्द्रावती के नाम दर्ज था जिन्होने दिनांक 22.05.2012 को जरिये रजिस्ट्रर दस्तबरदारी अपने सयुक्त खाते के सहखातेदारों के पक्ष में त्याग कर दिया है इसी प्रकार अनुसार प्रतिवादी संख्या 7 अनुराधा ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 बृजलाल के पक्ष में छोड दिया तथा प्रतिवा[illegible] 8 ,9 ने अपना हिस्सा दिनांक 25.05. 2012 को रजिस्टर दस्तबरदा[illegible] के पक्ष मे छोड दिया।

दस्तबरदारी दिनांक 0[illegible] के आधार पर प्रति[illegible] संख्या 1 ता 3 को कोई हक हिस्सा हासिल नही होते है दस्त[illegible]दारी होने के बाद शे[illegible]खातेदार बराबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:25:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

के हकदार होते है इसलिये दस्तबरदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में मानी जावेगी सभी का बराबर का हक हिस्सा होगा।

प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को प्रतिवादी संख्या 11 को दान कर दी है इसलिये वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 11 का हक हिस्सा है।

वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,4 के नाम से दर्ज है वह दस्तबरदारी के आधार पर दर्ज है जबकि दस्तबरदारी से सभी सहखातेदारों के बराबर बराबर दर्ज की जाती थी दस्तवरदारी करने वाले का मात्र नाम राजस्व रिकार्ड में काटा जाकर शेष खातेदारों में बराबर भूमि दर्ज की जानी चाहिये थी किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हिस्सा कस्सी सही तौर से दर्ज नही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि जिसका विवरण वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है को वादी अकेला 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 ,4 बहिब 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 11 अकेला 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 3 ,11 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया प्रतिवादी संख्या 1, 2 ,4 ता 9 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 1 टीकेएम के खाता संख्या 13/14 की कुल 9.3860हैक व रोही मौजा 2 टीकेएम के खाता संख्या 56/17 की कुल 5.5530हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी प्रतिवादी संख्या 1 ,2 , 4 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा जोधाराम पुत्र आदूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा जोधाराम पुत्र आदूराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रो/पुत्रीयों के नाम से दर्ज हुई।

उक्त वाद भूमि में 3/10 हिस्सा मृतक मन्नीदेवी पत्नी स्व रणीतराम व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 पूष्पादेवी , इन्द्रावती के नाम दर्ज था जिन्होने दिनांक 22.05.2012 को जरिये रजिस्ट्रर दस्तबरदारी अपने सयुक्त खाते के सहखातेदारों के पक्ष में त्याग कर दिया है इसी प्रकार अनुसार प्रतिवादी संख्या 7 अनुराधा ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 बृजलाल के पक्ष में छोड दिया तथा प्रतिवादी संख्या 8 ,9 ने अपना हिस्सा दिनांक 25.05.2012 को रजिस्टर दस्तबरदारी से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे छोड दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:25:42 IST
Reason: SelfAttested

दस्तबरदारी दिनांक 05.11.2022 ,25.05.2012 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई हक हिस्सा हासिल नही होते है दस्तबरदारी होने के बाद शेष सहखातेदार बराबर

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

के हकदार होते है इसलिये दस्तबरदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में मानी जावेगी सभी का बराबर का हक हिस्सा होगा।

प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को प्रतिवादी संख्या 11 को दान कर दी है इसलिये वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 11 का हक हिस्सा है।

वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,4 के नाम से दर्ज है वह दस्तबरदारी के आधार पर दर्ज है जबकि दस्तबरदारी से सभी सहखातेदारों के बराबर बराबर दर्ज की जाती थी दस्तवरदारी करने वाले का मात्र नाम राजस्व रिकार्ड में काटा जाकर शेष खातेदारों में बराबर भूमि दर्ज की जानी चाहिये थी किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हिस्सा कस्सी सही तौर से दर्ज नही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड पर मनन किया प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ,11 के पूर्वज जोधाराम पुत्र आदुराम के नाम दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि विरास्तन से रणजीत पुत्र जोधाराम के नाम दर्ज हुई थी जो प्रस्तुत जमाबन्दीयों से पूर्णत्या साबित है।

रणजीत पुत्र जोधाराम के देहान्त होने पर वाद भूमि विरास्तन से रणजीत के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 एवं मन्नी देवी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी मन्नीदेवी पत्नी स्व रणजीतराम व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 पुष्पादेवी व इन्द्रावती पुत्री रणजीत ने दिनांक 22.05.2012 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में दस्तबरदारी करवाई इसीप्रकार प्रतिवादी सख्या 7 अनुराधा ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 बृजलाल के पक्ष में दिनांक 05.11.2022 को दस्तबरदारी करवाई तथा प्रतिवादी संख्या 8 ,9 मीरा व रूकमणी ने दिनांक 25.05.2012 को प्रतिवादी संख्या 1 ,3 के पक्ष में दस्तबरदारी करवाई जिसके आधार पर भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी ।

दस्तबरदारी के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हिस्से गलत तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये गये है दस्तबरदारी होने के उपरान्त शेष सहकाश्तकारों में बहिब दर्ज किये जाने चाहिये थे राजस्व रिकार्ड दस्तबरदारी के आधार पर दर्ज किये गये गलत इन्द्राज को वादी संशोधन करवाने का अधिकारी है।

दस्तबरदारी कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नही है दस्तावरदारी से कोई हक तब्दील नही होते है ना ही किसी विशेष हकदार को कोई कास्तकारी हक हासिल होते है दस्तबरदारी से दस्तबरदार होने वाले सहकास्तकार का उस खाता व खाते की भूमि में हक समाप्त हो जाता है तथा उस खाता के बकाया सभी सहकाश्तकार बहिब के मुश्तरका हकदार व कास्तकार हो जाते है दस्तबरदारी दिनांक 22.05.2012 ,05.11.2012 ,25.05.2012 होने के उपरान्त शेष रहे सहखातेदारों में भूमि बहिब में समायोजित हो जाती है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वाद भूमि में बहिब के खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 3 अमरसिह ने अपने हक हिस्सा की भूमि को जरिये दानपत्र अपनी पत्नी प्रतिवादी संख्या 11 को दिया जा चुका है इसलिये अमरसिह के नाम से दर्ज भूमि प्रतिवादी संख्या 11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या [illegible] ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा भी पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है [illegible] वादी के अनुतोष अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,4 ,11 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:25:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद भूमि में प्रतिवादीगण के द्वारा की गई दस्तबरदारी शेष सहखातेदारों को बराबरब का हक हिस्सा है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

अतः वाद वादी साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 टीकेएम कें खाता सख्या 13/14 की कुल 9.3860हैक एवं रोही मौजा चक 2 टीकेएम के खाता संख्या 56/47 की कुल 5.5530हैक भूमि में वादी अकेला 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 दोनो बहिब 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 11 अकेली 1/4 हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06/03/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:25:42 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रामेश्वरलाल दहिया पुत्र रणजीतराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बृजलाल पुत्र रणजीतराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर
2. रायसिह पुत्र रणजीतराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर
3. अमरसिह पुत्र रणजीतराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर
4. विरेन्द्र पुत्र रणजीतराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर
5. पुष्पादेवी पुत्री रणजीतराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर
6. इन्द्रावती पुत्री रणजीतराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर
7. अनुराधा पुत्री रणजीतराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर
8. मीरा पुत्री रणजीतराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर
9. रूकमणी पुत्री रणजीतराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
11. अनिता दहिया पत्नी अमरसिह दहिया जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 404 सन 2022 निर्णय दिनांक– 06/03/2026

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 टीकेएम कें खाता सख्या 13/14 की कुल 9.3860हैक एवं रोही मौजा चक 2 टीकेएम के खाता संख्या 56/47 की कुल 5.5530हैक भूमि में वादी अकेला 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 दोनो बहिब 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 11 अकेली 1/4 हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/03/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:25:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)